विज्ञापन प्रारुप

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु "त्रि-सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण" के गठन के लिये 'सदस्य' पद हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन करें।

पदसंख्या - 03

पद 1. सदस्य, अकादमिक(शैक्षणिक कार्य) क्षेत्र से 01,

2. सदस्य, सिविल सेवा क्षेत्र से 01,

3. सदस्य, सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र से 01।

आवेदन, अनुभव संबंधी क्षेत्रों {अकादमिक(शैक्षणिक कार्य) क्षेत्र, सिविल सेवा क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र} हेतु पृथक-पृथक देना होगा।

अर्हताएँ -

1) अकादमिक(शिक्षा), सिविल सेवा एवं सिविल सोसायटी संगठन के क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र में न्यूनतम 30-वर्षों का अनुभव।
2) प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठ-निरपराध हो,
3) किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान प्रतिबंधित- संगठन/ संस्था/ समिति का सदस्य न हो,
4) शारीरिक रुप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो,

टीपः- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रुप में जिन्होंने कम से कम 01-वर्ष सेवा दी हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

आयु सीमा - नियुक्ति के समय, उम्र 66-वर्ष से कम हो।

क्रमशः....(2) पर

शर्तें -

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित "अवार्ड" से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु "त्रि-सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण" का गठन किया जाना है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है ।

2) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी । आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिये ।

3) आवेदक को अपने कार्यानुभव, प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करना होगा ।

4) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में समस्त प्रमाण-पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

5) आवेदन संबंधी प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों की जानकारी वेबसाईट- www.cgstate.gov.in एवं www.mgnrega.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

6) आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक- 25.08.2014, सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

कार्यावधि - अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथमबार 02-वर्ष की समयावधि के लिये की जावेगी, कार्यप्रदर्शन - मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एकबार में 01-वर्ष के लिये, अधिकतम 02-बार तक अथवा 68-वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।

पुर्ननियुक्ति नहीं की जावेगी।

पारिश्रमिक - प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये- 30,000.00 (तीस हजार रूपये मात्र) के अध्याधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 1500.00 (एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की दर से होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

क्रमशः....(3) पर

कार्य -

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित "अवार्ड" से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।

2) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02-माह के भीतर करना।

आवेदन प्रारुप - संलग्न।

पता - आवेदक को अपना आवेदन निर्धारित प्रारुप एवं यथायोग्य दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर प्रेषित करेः-

"सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, भूतल, कक्ष क्रमांक- S0 : 24,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़, पिनकोड- 492002."

--000--

आवेदन पत्र

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य में त्रि-सदस्यीय अपीलिय प्राधिकरण के सदस्य हेतु आवेदन"

स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट-
साइज फोटो
चस्पा करें

आवेदित पद का नामः- सदस्य..... {अकादमिक(शैक्षणिक कार्य) क्षेत्र/ सिविल सेवा क्षेत्र/ सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्र में से किसी एक का उल्लेख करें, क्षेत्र का उल्लेख नहीं किए जाने से आवेदन अमान्य किया जा सकता है।}

1. आवेदक का नामः- .....
2. पिता/ पति का नामः- .....
3. जन्मतिथिः- .....
4. आवेदन के समय, आयुः- .....वर्ष.....माह.....दिन (आयु संबंधी प्रमाण संलग्न करें)
5. लिंगः- .....
6. जातिः- .....
7. वर्गः- .....
   (सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)
8. वर्तमान पताः- .....
   .....
   .....
9. स्थायी पताः- .....
   .....
   .....
10. फोन/ मोबाईल नम्बरः- .....(एस.टी.डी. कोड सहित)
11. ईमेल एड्रेसः- .....
12. शैक्षणिक योग्यताः- .....

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी

(कृपया समस्त दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. न्यूनतम 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं- .....
    (अकादमिक(शिक्षा)/ सिविल सेवा/ सिविल सोसायटी संगठन में से किसी एक का उल्लेख करें, जिसमें 30-वर्ष का अनुभव हो)

क्रमशः....(2) पर

14. अनुभव का विस्तृत विवरणः- .....(सारणी में देवें)

क्रं.	पद नाम	संस्था का नाम	सेवाअवधि वर्ष (....से...तक)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम

(अकादमिक(शिक्षा)/ सिविल सेवा/ सिविल सोसायटी संगठन में से किसी एक क्षेत्र में न्यूनतम 30-वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत् संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी या क्रियाकलाप के समाचार पत्र में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र, सेवानिवृत्ति दस्तावेज एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

15. मूल निवास प्रमाण पत्रः- .....

16. क्या किसी राजनैतिक दल के सदस्य हैं- .....
(हाँ या नहीं, नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)

17. क्या कोई अपंगता अथवा गंभीर बिमारी है,- .....
(जिसके कारण क्षेत्र भ्रमण में कठिनाई हो, टीप देवें)

18. अन्य जानकारी, ...
जो आपको सामाजिक रुप से ख्यातिलब्ध(Eminent) बनाती हो।

19. संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूचीः-

.....
.....
.....

घोषणा

आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही एव सत्य है। यदि किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थानः.....
दिनांकः.....

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)